

राष्ट्रीय आवास बैंक
(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्वाधीन)
नई दिल्ली

आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001

निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.12/सीएमडी/2005 दिनांक 16 नवम्बर, 2005

राष्ट्रीय आवास बैंक जनहित में एवं इस बात से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ यह आवश्यक समझता है कि ऐसा करना अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987/53) की धाराओं 30ए तथा 31 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 में निम्नानुसार और संशोधन तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं, अर्थात्:

1. अनुच्छेद 25 में, उप-अनुच्छेद के बाद निम्नलिखित परंतुक (5) के रूप में शामिल किया जाएगा, अर्थात्,

आगामी वार्षिक रिपोर्ट में तुलन-पत्र के 'लेखाओं' पर टिप्पणियां' में "प्रत्येक आवास वित्त कंपनी को पृथक दर्शाया जाएगा,

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनी पर अधिरोपित उद्ग्रहीत दंड, यदि कोई हो, का विवरण और

(ख)राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियामक अनुपालन के संदर्भ में आवास वित्त कंपनी पर लिखित में की गई प्रतिकूल टिप्पणी, यदि हो, जिसके लिए आवास वित्त कंपनी को कोई विशेष पत्र भेजा गया हो कि उसे सार्वजनिक किया जाए।"

ख) भाग 1 के अन्तर्गत अनुसूची I (वार्षिक रिपोर्ट) में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा -

भाग-1 (स)

यथा 31 मार्च, ---- को धारित सार्वजनिक जमाओं के क्षेत्र-वार आंकड़े

(लाख रुपए)

क्षेत्र@	खातों की सं.	राशि
उत्तरी		
पूर्वी		

केन्द्रीय		
पश्चिमी		
दक्षिणी		
कुल		

@क्षेत्र विवरण

उत्तरी क्षेत्र	चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान
केन्द्रीय क्षेत्र	छत्तीस गढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल
पश्चिमी क्षेत्र	दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र
पूर्वी क्षेत्र	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
दक्षिणीक्षेत्र	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पांडिचेरी तथा तमिलनाडु

ग) भाग-5 के बाद, अनुसूची I में भाग 6 के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा-

भाग-6

आवास वित्त कंपनी का वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपए)

मद	यथा 31 मार्च, ---- को
1	2
क. आय (i+ii)	
(i) निधि आधारित	
(ii) शुल्क आधारित	
ख. व्यय (i+ii+iii)	
(i) वित्तीय	
(ii) कर्मचारी	
(iii) अन्य प्रशासनिक	
ग. कर प्रावधान	
घ. निवल लाभ	

च. कुल आस्तियां	
छ. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत में)	
(i) आय	
(ii) निधि आधारित आय	
(iii) शुल्क आधारित आय	
(iv) व्यय	
(v) वित्तीय व्यय	
(vi) परिचालन व्यय	
(vii) अन्य प्रावधान	
(viii) कर प्रावधान	
(ix) निवल लाभ	

घ. कंपनी के विवरण के नीचे अनुसूची I में, 20 के बाद निम्नलिखित 21 व 22 के रूप में जोड़ा जाएगा-

21. मुख्य कार्यपालक का नाम	
21(क) टेलीफोन नम्बर व एसटीडी कोड	
21(ख) मोबाइल नम्बर	
21(ग) फैक्स नम्बर	
21(घ) ई-मेल	

22. अनुपालन/नोडल अधिकारी का नाम	
22(क) टेलीफोन नम्बर व एसटीडी कोड	
22(ख) मोबाइल नम्बर	
22(ग) फैक्स नम्बर	
22(घ) ई-मेल	

Sd/-

(पी.के. गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक